"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 13] रायपुर, बुधवार, दिनांक 19 जनवरी 2011—पौष 29, शक 1932

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 जनवरी 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-46/2010/वाक/पांच (1).—राज्य शासन एतद्द्वारा नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का अधिनियम संख्यांक-1) की धारा 33 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले पदों को उक्त अधिनियम की धारा 33 में उल्लेखित नि:शक्त व्यक्ति हेतु पदों के आरक्षण संबंधी उपबन्धों से वाणिज्यिक कर विभाग के कार्य के स्वरूप यथा व्यवसाय स्थलों की आकस्मिक जांच, लोडिंग-अनलोडिंग बिन्दुओं (पाइन्टस्) पर जांच, जांच चौकी पर पदस्थापना, बकाया राशि की वसूली, व्यवसाय स्थल का भौतिक सत्यापन, चलित वाहनों की जांच इत्यादि विभिन्न मैदानी कार्य (Field Work) को दृष्टिगत रखते हुए वाणिज्यिक कर विभाग को छूट प्रदान करती है.

यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 19 जनवरी 2011

क्रमांक एफ 10-46/2010/वाक/पांच (1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-46/2010/वाक/पांच (1) दिनांक 19-01-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

Raipur, the 19th January 2011

NOTIFICATION

No. F-10/46/2010/CT/V (1).—In exercise of the powers conferred by proviso of section 33 of the Nihshakt Vyakti (Saman Avasar Adhikar Sanrakchhan aur Poorn Bhagidari) Adhiniyam, 1995 (No. 1 of 1996), the State Government hereby exempts the Commercial Tax Department from the provisions of section 33 of the said act, for reservation of handicapped persons in post to be recruited through the Chhattisgarh Public Service Commission, considering the nature of work of commercial tax department like investigation of business places, checking on loading-unloading points, posting at check post, recovery of Arears physical verification of business places, mobile checking field work etc.

2. This notification shall come into force from the date of publication in official gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. RAI, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.